हमारा संदर्भः दे.शा.का./कोरियर दिनांकः 11 07 2012 विषयः कोरियर सेवाओं के लिए सीमित कोटेशन । प्रति

.....

#### महोदय/महोदया,

भारतीय मानक ब्यूरो, देहरादून शाखा कार्यालय, सी-43, सेक्टर-1, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून में विभिन्न जाँच नमूनों/डाक/वैकेट/वित्र इत्यादि के प्रेषण हेतु एक वर्ष की सीमित अविध के लिए, जिसे संतोषजनक सेवा के आधार वर सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, सीलबन्द लिफाफो में कोरियर सेवा प्रदाताओं से सीमित कोटेशन आमांत्रित किए जाते हैं।

- (1) इन जाँच नमूनों तथा डाक इत्यादि को भारत में स्थित विभिन्न स्थानों □र भेजा जाना प्रस्तावित है।
- (2) जब कभी भी बीआईएस, डीबीओ को आवश्यकता होगी तो भेजे जाने वाले नमूनों/ वैकेट/डाक को बी आई एस शाखा कार्यालय देहरादून से प्राप्त किया जा सकेगा तथा शीघ्र द्रुतगामी स्रोतों से बी आई एस प्रयोगशालाओं, बीआईएस द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं तथा भारत में स्थित अन्य कोई स्थान, यदि लागू हो भेजा जाएगा। उपिक्त मामलों में उन्हीं अपवादों को स्वीकार किया जाएगा जिसके लिए ब्यूरों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो और ऐसा केवल कोरियर सेवा प्रदाता द्वारा दी गई पूर्व-सूचना पर ही संभव होगा। यह कोरियर सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है कि नमूनों/ वैकेट/डाक इत्यादि को सुरक्षात्मक पंग से रखा जाए, व्यवस्थित पंग से निर्गत किया जाए। कोरियर सेवा प्रदाता द्वारा सहपत्र तथा प्राप्ति की सूचना (प्रीओडी) सैंपल/डाक को ब्यूरो से उठाने के 05 दिन के भीतर अनिवार्यत: जमा की जानी है।

- क्लोजर, सीमेंट, प्लाईवुड, वूडन फलश डोर, हम्रमष्ट, सामान्य क्रामिकल्स, अग्नि शामक यष्ट, इत्यादि तथा शीश□का उत्पाद जैसा ट्यूबलाइट, बल्ब, सी एफ एल इत्यादि।
- (4) बी आई एस द्वारा बुलाए जान पर कोरियर सद्या उपलब्ध कराना, जाँच-नमूनों को छड़छाड़ स वचाना, सूचीबद्ध करना, प्राप्ति की पावती (पी ओ डी) को ब्यूरो में जमा करना इत्यादि कोरियर सद्या प्रदाता की जिम्मदारी होगी।
- (5) अितम रूप स□नामिका में चयनित सद्या प्रदाता को निर्धारित उत्पाद एव□मात्रा का मामला में गारिंदी का अनुसार तथा समय-समय पर सूचीबद्ध कोरियर सद्या प्रदान करनी होगी। नमूनों/डाक का वितरण गारिंदी का अनुसार न होना की अवस्था में दण्ड/अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। यिद जाँच नमूनों का वितरण में विलेख, नमूनों को खराब/एक्ससपायरी होना बाद वितरण (जहाँ लागू हो), विलेखित या दिश्वी साउठाए गए नमूनों, नमूनों का क्षितिग्रस्त होना का बाद प्रयोगशाला में वितरण जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो कोरियार सद्या प्रदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण क्षितिग्रस्त नमूना डाक की प्रकृति/गिर्धारता पर निर्भर कराा। इस क्षिति का निर्धारण ब्यूरो द्वारा किया जायगा तथा यह अनिवार्य रूप साकोरियर सद्या प्रदाता को बाध्यकारी होगा।
- (6) माह का अप्त में प्राप्ति-पावती (पी ओ डी) तथा बिल की 2 प्रतियों में प्राप्ति का उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।
- (7) बिना किसी अतिरिक्त सूचना व कारण का अनुबध को रद्द करना का अधिकार ब्यूरो का पास सुरक्षित है। यद्यपि अनुबध को आशिक /पूर्णतः, रद्द / निरस्त की सूचना एक माह पूर्व नोटिस जारी कर दी जाएगी।
- (8) पूर्णतः तथा विधिवत भर□गए सीमित कोटांन, एक सीलंबन्द लिफाफा में जिसका ऊपर "कोरियर सद्या प्रदाताओं विका लिए सीमित कोटांन" स्पष्ट रूप सिलखा गया हो, अप्तिम तिथि 07 08 2012 को साय 16:00 बज तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप सि बीआईएस, डीबीओ का सुरक्षा कार्मिक का समक्ष रख टिग्रंडर बाक्स में डाल जा सकत हैं। अप्तिम तिथि तथा समय का बाद प्राप्त समस्त कोटांन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाऐगें। समस्त सीमित कोटांन निर्धारित अप्तिम तिथि 07 08 2012 को साय 16:30 बज बीआईएस, डीबीओ का उपरोक्त दर्शाए गए पत पत पर उपस्थित निवदाकारों या उनका अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि व उपस्थित होन का इच्छुक हों, का समक्ष खोली जाऐगी।
- (9) अग्रिम सुरक्षित धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का रूप में रूपया2000/= (रूपए दो हजार मात्र) डिमाष्ठ ड्राफ्ट द्वारा 'ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस' का पक्ष में जारी तथा द्रह्मरादून में भुगतान योग्य, अनिवार्यतः सीमित कोट्यान का साथ सम्लग्न किया जाए। उपरोक्त धनराशि कोट्यान को अस्वीकृत किए जान□की दशा में वापसी योग्य होगी। ऐस□कोरियर सम्रा प्रदाता/निविदाकार जो अग्रिम स्रक्षित धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को नियमान्सार

जमा नहीं करेगें उन्हें सीमित कोष्टशन इतु न तो पात्र समझा जाएगा और न ही विचार किया जाएगा।

- (10) सफल निविदाकार की अग्रिम सुरक्षित धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को ब्यूरो द्वारा जमा काराई जाम वाली सुरक्षित धनराशि जो कि रूपग्र 10000.00 होगी में समायोजित किया जाग्रगा। अन्य मामलों में, जो कि अन्यथा न हों सीमित कोटेशन के अंतिम रू□ लेने के उ□रांत अग्रिम सुरक्षित धनराशि को वा□स कर दिया जाएगा।
- (11) बिना कोई अन्य कारण बताए और/अथवा बिना कोई अन्य पूर्व सूचना/नोटिस जारी किए एक/एक से अधिक/सभी सीमित कोटेशन अंशतः/पूर्णतः, स्वीकार/अस्वीकृत करने का अधिकार ब्यूरों के ास सुरक्षित है।
- (12) उस □ंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाता को वरीयता प्रदान की जाएगी जिसकी स्वयं की अधिकतम शाखाएं/शाखा-कार्यालय हों तथा कोरियर चार्ज एवं अन्य सभी करों सहित कुल दर न्यूनतम हो।
- (13) जब तक कि निर्धारित प्रारू□ में छूट के दस्तावेज उ□लब्ध नहीं करा दिए जाते (यदि लागू हैं), सभी लागू कर बिल भुगतान के दोरान – काट लिए जाऐगें।
- (14) समझौते का प्रारू□ संलग्न है।
- (15) सीमित कोटेशन के सभी पृष्ठों को कोरियर सेवा प्रदाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरांकित किया जाएगा।

## (16) सीमित कोटेशन के आर्थिक विवरण निम्निलिखित प्रास्प में ही जमा किए जाएँगें/स्वीकार किए जाएँगें:

डाक्युमेंट (सर्फेस) की दरें:

क्षेत्र	100	ग्राम	101	से	250	251	से	500	501	से	1000	प्रत्येक	अतिरिक्त
	तक		ग्राम		तक	ग्राम		तक	ग्राम		तक		म के लिए त्रोग्राम की
													सीमा के
												बाद)	
एन सी आर													
उत्तर प्रदेश													
उत्तराखण्ड													
शेष भारत													

कार्गो सेवाएं (सर्फेस) की दरें:

क्षेत्र	1 कि.ग्रा.तक	1 किग्रा. से	5	किग्रा.	प्रत्येक
		अधिक.	से	अधिक,	अतिरिक्त 1
		311947,	\'	311997,	किग्रा. के लिए

	किन्तु	5	किन्तु	10	
	किग्रा	से	किग्रा.	से	निर्धारित
	कम		कम		सीमा के बाद)
एन सी आर					
चण्डी🛚 ढ़⁄मोहाली					
मुम्बई/चैन्नई/बं□ लुरू/कोलकाता/पटना					
शेष भारत					

एयर कार्ो की दरें (प्रति किलोग्राम की दर से):

क्षेत्र	
मुम्बई∕चैन्नई∕बं□ लुरू∕कोलकाता∕पटना	
शेष भारत	

बोली ल□ाई □ई दरें बिना किसी अतिरिक्त कर/करों के है।

- (17) सीमित कोटेशन के साथ निम्नलिखित सूचनाएं/विवरण अनिवार्यतः संलग्न किए जाएं:
- (ए) पंजीकरण संख्या की छायाप्रति।
- (बी) पंजीकृत स्थाई पता तथा पत्राचार का पता , दूरभाष, मोबाईल नम्बर, फैक्स नम्बर, ई-मेल इत्यादि के साथ।
- (सी) यूनिट कार्यालय का स्थानीय (देहरादून) पता (with address proof), उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कार्मिक, उनके विवरण, दूरभाष, मोबाईल संख्या इत्यादि( आखिल भारतीय स्तर पर स्थापित साखाओं की सूची।
- (डी) यदि किसी कोरियर कंपनी का नामाधिकार (फ्रेंचायजी) है, तो नियुक्ति पत्र की वैधता तिथि को दर्शाती हुई प्रति।
- (ई) करों का विवरण, यदि कोई है।
- (एफ) पैन नम्बर/पैन कार्ड की छायाप्रति।
- (जी) सेवा कर पंजीकरण संख्या की प्रति।
- (एच) सेवा-शर्तों की स्वीकृति दर्शाते हुए घोषण पत्र।
- (आई) किसी भी प्रकार के संदेह⁄अनियमितता के मामले में उपरोक्त का अंग्रेजी संस्करण मान्य हो□।

सधन्यवाद,

भवदीय,

(दिनेश सिंह) अनुभा॥ अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

## अनुबन्ध (रूपए 100/= के गैर – न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

	यह	अनुबन्ध	भारतीय	मानक	ब्यूरो,	देहरा	दून १	गाखा	कार्या	त्रय,	सी-43,	सेक	टर-1,	डिफेंस
कॉलौनी	,	देहरादून	जिसे	आगे	'बीः	आईएर	स-डीर्ब	ोओ'	कह	<b>ग</b>	जाएगा	7	<b>ग्था</b>	मैसर्स
						एक	प्रमीद	ृहत	क्फ्पनी	जि	सका प	मीकृ	त व	गर्यालय
			. □र सि	थत है	तथा	जिसे	आगे	'ऐजें	सी' व	<b>म्हा</b>	जाएगा,	क्क	बीच	दिनाक्व
		व	ने किया	जाता है	I									

उपरोक्त दर्शाए गए दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों क अधीन इस अनुबध एव। इसक समस्त भागों/उपबन्धों पर सहमति व्यक्त करता हैं:

## 'अनुबधा का प्रभाव-श्वात्र'

- (ए) ऐजेंसी तथा बीआईएस-डीबीओ सा सम्बद्ध अधिकारी द्धिपक्षीय सहमति व्यकत करता हैं कि कोरियर सावा क अप्तर्गत नमूनों/पैकट/डाक इत्यादि महत्वपूर्ण दस्ताबाज को सभी कार्यकारी दिवसों में और/अथवा पूर्व में सूचित किए गए किसी विशाष दिवस में बीआईएस-डीबीओ सा प्राप्त किया जाएगा, जिससा उसका विधिवत वितरण सुनिश्वित किया जा सका।
- (बी) बीआईएस-डीबीओ सा ऐजेंसी द्वारा वितरण का लिए प्राप्त किए गए नमूनों/पैकट/डाक इत्यादि को उपरोक्त प्राप्ति का बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षात्र (एन सी आर) में आगामी कार्यकारी दिवस में तथा शाष भारत में चार दिनों का भीतर वितरित किया जाएगा।
- (सी) बिना किसी भी अपवाद को स्वीकृत किए ऐजेंसी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कोरियर सवाऐ। प्रदान की जाएगी।
- (डी) ऐजेंसी अपना प्रत्यायित प्रतिनिधि को नामाफित कारणा जो बीआईएस-डीबीओ सा अभिहित/विनिर्दिष्ट पता तक नम्नों/पैकट/डाक इत्यादि को वितरित कारणा। प्रत्यायित प्रतिनिधि को ऐजेंसी द्वारा निर्गत किए गए पहचान पत्र/पहचान का अधिकारिक पत्र न होता की स्थिति में जाँच नम्ता/पैकट/डाक इत्यादि नही□सौंपा जाएगा। यह प्रत्यायित प्रतिनिधि सैंपल/पैकट/डाक इत्यादि की प्राप्ति की पावती प्रषण नोट पर द्वागा जिसा बीआईएस-डीबीओ द्वारा रखा जाएगा। सैंपल/पैकट/डाक इत्यादि को विनिर्दिष्ट पता पर वितरण का मामता में, प्रषण नोट की एक प्रति विनिर्दिष्ट पता पर अधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी तथा उसकी प्राप्ति को प्रषण नोट की एक अन्य कार्बन प्रति पर लिया जाएगा, इस कार्बन प्रति को ऐजेंसी द्वारा रखा जाएगा।
- (ई) यह पूर्णतः कोरियर ऐजेंसी की जिम्मादारी होगी कि जब तक कि नमूना/पैक्कट/डाक इत्यादि विनिर्दिष्ट पता तथा अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि को पूर्णतः सीलबन्द अवस्था में वितरित न हो चुक्क हों, तब तक सैंपल/पैक्कट/डाक इत्यादि क किसी अवयव सा न तो

छेड़छाड़ की जाए, न गुम हो पाए, न चोरी हो पाए, न ही टूट-फूट/क्षितिग्रस्त हो पाए। पुनः यह ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वितरित किए गए जाँच नमूने/पैकेट/णक इत्यादि पूर्णतः सीलबन्द अवस्था में हों तथा उनमें कोई टूट-फूट/क्षिति न पहुँची हो। वितरण के समय यदि कोई टूट-फूट/क्षिति प्रतीत होती है तो जाँच नमूना/पैकेट/णक का वास्वविक मूल्य तथा अर्थदण, यदि कोई है ऐजेंसी से वसूल किया जाएगा।

- (एफ) कोरियर ऐजेंसी को एक क्षतिपूर्ति बधा पत्र देना होगा जिसमें, यदि सैंपल/पैकेट/॥क इत्यादि आवागमन/वितरण की प्रक्रिया में छेड़छाड़/दूट-फूट सहित अन्य किसी भी प्रकार की क्षति के कारण अधातः/पूर्णतः नष्ट होते हैं, के उपराप्त बीआईएस-धीबीओ द्वारा स्वीकृत अथवा माँगी गई/दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि को अदा करने की स्वीकृति सब्धी विवरण होगा। बीआईएस-धीबीओ द्वारा उपरोक्त किए गए समस्त दावों की प्रतिपूर्ति ऐजेंसी द्वारा एक निर्धारित अधिकतम समयाविध, जो कि एक माह निर्धारित की गई है, में अदा/भूगतान/जमा किया जाएगा।
- (जी) कोरियर ऐजेंसी द्वारा जारी किए गए बिल, जिसमें प्राप्ति की सूचना (पी ओ ी) भी अनिवार्यतः सम्लग्न हो, को माह के अम्र में जमा करने तथा बीआईएस—ीबीओ द्वारा नियमानुसार समस्त कटौती/कटौतियों के पश्चात्, यदि कोई है मासिक आधार पर तथा कोरियर ऐजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा के भ्गतान के रूप में किया जाएगा।
- (एच) कोरियर के वितरण में बिद्यु क्रमाक्व-बी में दर्शाई गई अवधि, जिसमें रविवार तथा वह अवकाश जो विनिर्दिष्ट अविध में पड़ता है, कर्फ्यू/हड़ताल जैसी अन्य अपवादस्वरूप तथा आकस्मिक परिस्थितियों, को सम्मिलित नही□िकया गया है, चाहें वह आवागमन/वितरण प्रक्रिया के प्रारम्भिक/मध्यवर्ती/अितम स्थल पर हों; से अिधक समय लगने पर बीआईएस —धीबीओ अर्थदण आरोपित कर सकता है, यदि वह ऐजेंसी द्वारा उपरोक्त के सद्दर्भ में दिए गए स्पष्टीकरण से समुष्ट नहीं□है:
- (1) एक दिन का विलम्ब (24 घण्टा) इस अवस्था में अधिकतम 50% तक भुगतान में कटौती की जाएगी।
- (2) एक दिन से अधिक का विलम्ब इस अवस्था में अधिकतम 100% तक भुगतान में कटौती की जाएगी।
- (3) बीआईएस—धीबीओ के सम्बन्धित वसूली अधिकारी/अधिकारियों द्वारा ऐजेंसी से प्राप्त बिल/बिलों के समायोजन में अर्थदण की वसूली, यदि कोई है की जाएगी।
- (आई) बीआईएस—ोबीओ तथा ऐजेंसी के बीच किया गया अनुबधा एक वर्ष के लिए बाध्यकारी होगा। एक वर्ष की सीमित अविध जिसे सप्तोषजनक सेवा के आधार पर तथा समान एवा पूर्ववत दर तथा सेवा शर्तो पर सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। यद्यपि बीआईएस—ोबीओ बिना कोई अतिरिक्त कारण बताए और/अथवा बिना कोई अतिरिक्त नोटिस जारी किए उपरोक्त अनुबधा को अधातः/पूर्णतः, निरस्त/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, परन्तु इस स्थिति में न्यूनतम एक माह पूर्व प्रमुख, बीआईएस—ोबीओ द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस ऐजेंसी को जारी किया जाएगा।

- (जे) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमुख, देहरादून शाखा कार्यालय प्रमुख (भारतीय मानक ब्यूरो)
- (के) वे 🛮 त्र/डाक इत्यादि जिन्हें औपचारिक रूप से इस अनुबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है और/अथवा बीआईएस-डीबीओ द्वारा अन्य दूरस्थ कार्यालयों, चाहें वह भारत में कहीं भी स्थित हो, में भेजे जाने वाले जाँच नमूना/🗈 त्र/डाक इत्यादि को भी इस अनुबंध के अंतर्गत पूर्व निर्धारित दरों 🗵 भेजा जाएगा।
- (एल) ऐजेंसी एक ऐसी सूची उ□लब्ध कराएगा जिसमें उन व्यक्तियों के नाम, □ता, दूरभाष/मोबाईल नम्बर होगें, जिनसे आवश्यकता □ड़ने □र बीआईएस–डीबीओ संक्रि कर सकता है।
- (एम) कानूनी विवाद, यदि कोई हो तो जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) के अंतर्गत/संबंधित न्यायालय में ही मान्य होगा।
- (एन) उपरोक्त दर्शाई गई समस्त सेवाओं को प्रदान करने हेतु निर्धारित नियम व सेवा-शर्तों पर निम्नलिखित दर/दरें स्वीकृत की गई हैं:

## डाक्युमेंट (सर्फेस) की दरें:

क्षेत्र	100	ग्राम	101	से	250	251	से	500	501 से	1000	प्रत्येक
	तक		ग्राम		तक	ग्राम		तक	ग्राम	तक	अतिरिक्त
											500 ग्राम के
											<b>ਕਿ</b> ए (1
											किलोग्राम की
											निर्धारित
											सीमा के बाद)
एन सी आर											
उत्तर प्रदेश											
उत्तराखण्ड											
शेष भारत											

## कार्गो सेवाएं (सर्फस) की दरें:

क्षेत्र	1 कि.ग्रा.तक	1 किग्रा. से	5 किग्रा.	प्रत्येक
		अधिक, किन्तु 5	से अधिक, किन्तु 10	(१० किथा. का
		किग्रा से कम	किग्रा. से कम	निर्धारित सीमा के बाद)
एन सी आर				
चण्डीगढ़/मोहाली				

मुम्बई/चैन्नई/बंगलुरू/कोलकाता/पटना			
शेष भारत			
एयर कार्गो की दरें (प्रति किलोग्राम की व	र से)ः		

ार कार्गो की दरे (प्रति किलोग्राम की दर से):

क्षेत्र	
मुम्बई/चैन्नई/बंगलुरू/कोलकाता/पटना	
शेष भारत	

		ोडयन स्टैण्डर्डस कार्यालय			ठेकेदार/ऐजेंसी
साक्षी:	1.		साक्षी:	1.	
	2.			2.	

Our Ref: DBO/Courier 11 Julyl 2012

#### **Subject: Limited Quotation for Courier Services**

To,

Sir,

Limited Quotation are invited in sealed covers for awarding contract to provide Courier Services at Bureau of Indian Standards, Dehradun Branch Office, C-43, Sector-1, Defence Colony, Dehradun for transportation of various sample items for testing and dak, packets for a period of one year which may be extended further on the basis of performance of services provided & as approval of Competent Authority.

- 1. These samples and the dak would be required to be sent to various destinations located all over India.
- 2. The collection of samples/packets/dak will be lifted from BIS-DBO Office as and when required basis and delivered by the fastest means at BIS Laboratories or BIS Approved Laboratories or to any destination through out India without any exception which can be referred from our office. The courier shall ensure that the samples are safely handled and promptly delivered along with the accompanying documentation. **Proof of Delivery (POD)** of samples along with the accompanying documents shall be submitted to this office within 5 days of lifting of samples.
- 3. The samples to be deposited would be of diverse nature and may normally vary from above few 100 grams to about 50-60 Kg. The samples would comprise products such as PVC pipes, MS Tubes, Pesticides, Packaged Drinking Water, Diesel Engine, Electrodes, Electrical products, LPG Gas Stove, Empty LPG Cylinder, Door Closure, Cement, Plywood, Wooden Flush Door, Helmets. General Chemicals, Fire Extinguisher, Glass items like tube light, bulb, CFL etc.
- 4. It shall be responsibility of the courier to promptly respond to BIS calls, non tempering of samples and documentation and also submission of Proof of Delivery (POD) of the same.

- 5. Successful bidder will be required to provide courier services against order placed for items and quantity, from time to time as per schedule given with guarantee. Penalty shall be levied for non delivery of samples, delayed delivery of samples, delivery of samples beyond expiry period wherever applicable, delayed or non pick up of samples, delivery of samples in damaged condition to the laboratories, tampering and loss of samples, which shall depend upon the seriousness of the lapse. The extent shall be decided by Head, DBO which shall be binding on the registered courier.
- 6. The payment will be processed after submission of bill along with the copy of **Proof of Delivery (POD)** in duplicate at the end of each month.
- 7. BIS reserve the right of termination of the contract without assigning any reason. However, one month notice would be given before the termination of the contract.
- 8. The duly filled in quotations, in a sealed cover mentioning "LIMETED QUOTATION FOR COURIER SERVICES" may be sent by post or dropped in the tender box kept at the security personnel of this office latest by **07.08.2012** (**1600 hrs**). Quotations received after the scheduled date and time shall be summarily rejected. Quotations shall be opened on the same day at 1630 hrs in the BIS, Dehradun Branch Office at above mentioned address in the presence of such tenderer or their duly authorized representatives as may like to be present.
- 9. Earnest money of Rs. 2,000.00 (Two Thousand Only) through Demand Draft, in favour of "BUREAU OF INDIAN STANDARDS" payable at DEHRADUN should be enclosed with the limited quotation. The said amount shall be refundable in the event of non-acceptance of the limited quotation. The limited quotation of such bidder, who does not deposit the Earnest Money will not be considered.
- 10. The Earnest Money deposited by the successful bidder shall be adjusted against security deposit and security deposit will be Rs. 10000.00. For other parties, it shall be refunded after finalization of the tender.
- 11. The Bureau reserves the right to accept or reject any or all limited quotations in whole or in part without assigning any reason whatsoever.
- 12. The registered courier agency having maximum no. of their own branches and the lowest rate will be preferred.
- 13. All applicable taxes shall be deducted from the payment of bill unless exempted.
- 14. The draft agreement is enclosed herewith.
- 15. In case of any doubt/discrepancy English version shall prevail.

# 16. The Financial details of limited quotation shall be submitted in the following format:

#### RATES FOR DOCUMENTS (SURFACE)

Region	Upto 100	101 gms to	251 gms to	501 gms to	Every
	gms	250 gms	500 gms	1 Kg	additional
					500 gm
					beyond 1
					Kg
NCR					
UP					
Uttranchal					
Rest of					
India					

#### RATES FOR CARGO SERVICES (SURFACE)

Region	Upto	Above	Above	Every
	1 kg	1 Kg to	5 Kg to	additional 1
		5 Kg	10 Kg	Kg beyond
				10 Kg
NCR				
Chandigarh/Mohali				
Mumbai/Chennai/Bangalore/Kolkata/Patna				
Rest of India				

#### RATES FOR AIR CARGO (PER Kg)

Region	
Mumbai/Chennai/	
Bangalore/Kolkata/Patna	
Rest of India	

The rates quoted are excluding any taxes.

### 17. Following documents shall necessarily be submitted alongwith in quotation:

- a. Copy of Registration No.
- b. Registered permanent address and correspondence address, phone no., mobile no., Fax no., e-mail etc.
- c. Unit office address (with address proof) at Dehradun and their authorized officer/personal, their particulars and their phone/mobile no. and list of their Branch Offices in India.

- d. In case of franchisee of any courier company, copy of appointment letter giving period of contract to be submitted.
- e. Taxes, if applicable.
- f. Permanent Account Number (PAN).
- g. Service Tax Registration No.
- h. Declaration of acceptance of Terms and Conditions of agreement.
- i. Each page of quotation shall be signed and stamped by the agency.

Thanking You

Yours Faithfully,

(Dinesh Singh) Section Officer

Encl: a/a

NOTE: Submission of all the documents mentioned above along with declaration, is mandatory, Non submission of any of the information above may render the bid to be rejected.

#### **AGREEMENT**

#### (on non judicial Stamp Paper of Rs. 100)

This agreement is made on	etween
Bureau of Indian Standards, Dehradun Branch Office, C-43, Sector-1, Defence Co	olony,
Dehradun; hereafter referred to as "BIS-DBO" & M/s	
A registered company with registered office at	
Hereinafter referred as "Agency". And both the parties as mentioned above se	et forth
agree to abide by the following terms of this agreement:	

#### 1. SCOPE OF THE AGREEMENT

- a. The services will consist of collection of the samples/packets, dak, containing valuable documents from BIS-DBO on all working days or any of the days as intimated to them in advance, at timings mutually agreed to between the courier agency and the concerned officers of the Bureau.
- b. The delivery of samples/packets/dak collected from BIS-DBO will be made by the courier agency to the concerned office within NCR generally on the next working day and in Rest of India in any case not later than four days after collection of sample/packet/dak.
- c. The courier agency will provide services to any destination located though out India without any exception.
- d. The courier agency will depute its accredited representative for collection and delivery of samples/packets/dak from BIS-DBO to the designated addresses. The representative will have to be provided with a suitable letter of authority/identity card without which he shall not be authorized to collect or deliver the samples/packets/dak. He will acknowledge receipt of the samples/packets/dak delivered to him on a copy of the accompanying consignment note which will be retained by our office. For delivery of samples/packets/dak to addressee, one copy of the consignment note will be handed over to the addressee and their acknowledgement shall be obtained on another copy which will be retained by the agency.
- e. It shall be the absolute responsibility of the courier agency once the samples/packets/dak are delivered to its authorized representative duly sealed/closed, to ensure that the contents of the samples/packets/dak are not tampered with any manner whatsoever and the samples/packets/dak are not misplaced, lost or stolen/broken. It shall be the responsibility of the agency to deliver samples in intact condition without breakage/damage etc. For the breakage/damage observed at the time of delivery, the cost of the sample and penalty, if any, will be recovered from the agency.

- f. The courier agency will enter into suitable agreement with BIS-DBO indemnifying it from any loss, damage, charge and expenses as the BIS-DBO may be put to or incurred and/or to be delivery, tampering or damage to any samples/packets/dak etc. All claims lodge by the BIS-DBO in this regard will be settled by the courier agency within a period of one month from the date of origin of claim thereof.
- g. The charges of services rendered by the courier agency will be paid on monthly basis as per the bill raised by the agency with Proof of Delivery (POD) at the end of each month after deducting penalty, if any.
- h. For delay in delivery of samples/packets/dak beyond the time mentioned in clause (b) above excluding the Sundays and Holidays which fall between the said period and except on account of imposition of curfew, either at the originating centre or at the destination, the BIS-DBO may impose penalty, as under if it is not satisfied with the explanation tendered by the courier agency:
  - (i) Delay of one day (24 hrs)- up to 50% of the charges payable on such delayed consignment(s) will be deducted.
  - (ii) Delay of more than one day- up to 100% of the charges payable on such delayed consignment(s) will be deducted.
  - (iii) The penalty will be recovered by the receiving office(s) of the BIS-DBO against the settlement of its/their own bill(s).
- i. The agreement entered into by the BIS-DBO and courier agency shall be binding for a period of one year. The contract may be extended for further on the basis of satisfactory performance of services provided & as approval of Competent Authority on the same rates and terms and conditions. However, BIS-DBO may for any reason, discount the arrangement and/or terminate the agreement earlier in respect of BIS-DBO covered by the agreement by issuing one month's advance written notice by the Head, BIS-DBO to the agency.
- j. In the event of any dispute the decision of the Head, Dehradun Branch Office (Bureau of Indian Standards) shall be final and binding.
- k. The charges/rates as agreed, will also be applicable to documents sent from BIS, DBO to any office of the addressee which have not been formally included under this arrangement.
- 1. The courier agency will provide a list containing the names of their representatives with address and telephone numbers to BIS-DBO who may contact them in case of need.
- m. Dispute arising, if any, shall be settled in the designated court of District of Dehradun (Uttarakhand).

<ul> <li>n. The following rates are agreed as per the terms and conditions aforesaid, for providing the above services:</li> </ul>							
RATES FOR DOCUMENTS (SURFACE)							
Region	Upto 10	00 101 gms 250 gms	to 251 gr	ns to 501	gms to	Every additional	

Region	Upto 100	101 gms to	251 gms to	501 gms to	Every
	gms	250 gms	500 gms	1 Kg	additional
			_	_	500 gm
					beyond 1
					Kg
NCR					
UP					
Uttranchal					
Rest of					
India					

# RATES FOR CARGO SERVICES (SURFACE)

Region	Upto	Above	Above	Every
	1 kg	1 Kg to	5 Kg to	additional 1
		5 Kg	10 Kg	Kg beyond
				10 Kg
NCR				
Chandigarh/Mohali				
Mumbai/Chennai/Bangalore/Kolkata/Patna				
Rest of India				

# RATES FOR AIR CARGO (PER Kg)

Region	
Mumbai/Chennai/	
Bangalore/Kolkata/Patna	
Rest of India	

	ndian Standards Branch Office ,	<u>AGENCY</u>		
Witness:	1.	Witness:	1.	
	2.		2.	